

## अनुदान संख्या 93 – दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

## GRANT No. 93 - DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत—	Voted-	1325,38,00	861,63,42	- 463,74,58
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			460,99,00
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत—	Voted-	1,00	..	-1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1,00

## टीका और टिप्पणियां

## Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

1. In the revenue section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"			
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Social Security and Welfare			
मू.	O.	112679.00		
			78036.01	77860.44
				-175.57
पु.	R.	- 34642.99		
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	8000.00		
			..	..
				..
पु.	R.	-8000.00		

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत—
Total	Actual	Saving -
grant	expenditure	

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"			
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	9356.00		
			6353.20	6253.20
पु.	R.	-3002.80		-100.00

(I) ₹8003.00 लाख का प्रावधान नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹7800.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" – "समाज कल्याण – दिव्यांगजन का कल्याण" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) "सहायक सामग्री और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता" – ₹1800.00 लाख;

(खा) "निःशक्त व्यक्ति अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए स्कीमें" – ₹2650.00 लाख;

(गा) "दीनदयाल निःशक्त व्यक्ति पुनर्वास स्कीम" – ₹1500.00 लाख;

(घा) "राष्ट्रीय संस्थानों को निधियन संबंधी स्कीम" – ₹850.00 लाख; और

(ड) "दिव्यांगजन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति" – ₹1000.00 लाख।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹8003.00 lakhs remained wholly unutilised under nine heads; of these ₹7800.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - "Social Welfare-Welfare of Handicapped" - under the following heads:-

(A) "Assistance to Disabled Persons for purchase/fitting of Aids and Appliances" - ₹1800.00 lakhs;

(B) "Schemes for Implementation for Persons with Disabilities Act" - ₹2650.00 lakhs;

(C) "Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme" - ₹1500.00 lakhs;

(D) "Scheme for Funding to National Institutes" - ₹850.00 lakhs; and

(E) "Scholarship for Students with Disabilities" - ₹1000.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष “2235” – “समाज कल्याण” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “दिव्यांगजन का कल्याण” –

(क) “नेत्रहीन, बधिर, मानसिक रूप से मंद एवं अस्थि विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थानों का विस्तार एवं सुधार” – ₹9006.14 लाख की बचत (₹33550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थानों से पर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति न होने, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने एवं मितव्ययिता के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) “अन्य स्कीमें” – ₹18430.24 लाख की बचत (₹51771.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एएलआईएमसीओ/राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसियों से पर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति न होने, चल रहे कार्यों के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से कम निधियों की आवश्यकता होने, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने और मितव्ययिता के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ग) “दिव्यांगजन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति” – ₹1190.39 लाख की बचत (₹9594.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से पर्याप्त छात्रवृत्ति आवेदनों की प्राप्ति न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – समाज कल्याण – दिव्यांगजनों का कल्याण” – ₹3945.42 लाख की बचत (₹10342.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(II) Under Major Head “2235” - “Social Welfare” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Welfare of Handicapped” -

(a) “Expansion and Improvement of National Institutes for the Blind, Deaf, Mentally Retarded and the Orthopedically Handicapped” - saving of ₹9006.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹33550.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate proposals from institutes, reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and austerity measures.

(b) “Other Schemes” - saving of ₹18430.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹51771.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate proposals from ALIMCO/State Government/implementing agencies, requirement of less funds from Central Public Works Department for ongoing works, reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and austerity measures.

(c) “Scholarship for Students with Disabilities”- saving of ₹1190.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9594.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate scholarship applications from State Governments and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes-Social Welfare - Welfare of Handicapped”- saving of ₹3945.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10342.00 lakhs); and

(गा) “जनजाति क्षेत्र उप-योजना” –

(क) “सामान्य कल्याण – दिव्यांगजन का कल्याण” – ₹1486.85 लाख की बचत (₹5030.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थानों/एएलआईएमसीओ/कार्यान्वयन एजेंसियों से पर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) “दिव्यांगजन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति” – ₹516.99 लाख की बचत (₹769.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से पर्याप्त छात्रवृत्ति आवेदनों की प्राप्ति न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – दिव्यांगजनों के लिए स्कीम” – ₹1292.91 लाख की बचत (₹6500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – दिव्यांगजनों के लिए स्कीम” – ₹882.74 लाख की बचत (₹1800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – दिव्यांगजनों के लिए स्कीम” – ₹927.15 लाख की बचत (₹1056.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों से पर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(C) “Tribal Area Sub-Plan” -

(a) “Social Welfare - Welfare of Handicapped” - saving of ₹1486.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5030.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of adequate proposals from the National Institutes/ ALIMCO/ implementing agencies and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) “Scholarship for Students with Disabilities”- saving of ₹516.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹769.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate scholarship applications from State Governments and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) Under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Central Assistance/Share- Scheme for differently abled Persons” - saving of ₹1292.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6500.00 lakhs);

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes-Scheme for differently abled Persons” - saving of ₹882.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1800.00 lakhs); and

(C) “Tribal Area Sub-Plan- Scheme for differently abled Persons” - saving of ₹927.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1056.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-receipt of adequate proposals from implementing agencies and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹450.22 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत थी।

(IV) Under one head saving of ₹450.22 lakhs occurred constituting 18 percent of the sanctioned provision.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, ₹1.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया था।

2. In the capital section of the grant, provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilized under one head and was eventually surrendered.

---